Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डिलक्स डिपो का मैनेजर ऑपरेशन 2500 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *02 मई, मंगलवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.) जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राहुल बंसल मैनेजर ऑपरेशन, डिलक्स डिपो, रा.रा.प.प.नि. जयपुर को परिवादी से **2500 रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.) जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा चलाई जा रही बस के क्षतिग्रस्त कांच को बदलने और उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं करने की एवज में राहुल बंसल मैनेजर ऑपरेशन, डिलक्स डिपो, रा.रा.प.प.नि. जयपुर द्वारा **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.) जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये राहुल बंसल पुत्र श्री राकेश कुमार बंसल निवासी फ्लेट नं. एस–2, प्लॉट नं0 218, सूर्यनगर, रिद्धि–सिद्धि चौराहा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर हाल मैनेजर ऑपरेशन, डिलक्स डिपो, रा.रा.प.प.नि. जयपुर को परिवादी से **2500 रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।